तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.10.2024	अधिवक्ता उभय उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत RLW 2004(3) Raj. Doongar Singh Vsd Rameeshwar Lal प्रस्तुत किया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के वाद में गवाह की मुख्य परीक्षा शपथपत्र के जरिये ली गई और जिरह कमिश्नर द्वारा ली जा रही है, किन्तु प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियां, कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। कमिश्नर बयान रिकार्ड पर लेने के लिए दक्ष नहीं है। भाव–भंगिमा रिकार्ड पर नहीं आ पा रही है। विवाद की सम्भावना बनी रहती है। यह अपीलेबल केस है, इसलिए कमिश्नर द्वारा बयान नहीं लिए जा सकते हैं। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर कमिश्नर द्वारा बयान नहीं करारक न्यायालय द्वारा स्वयं या अपने निर्देशन में बयान लेने का ओदश पारित किया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थनापत्र उपस्थित गवाह से बचने के लिए व अनावश्यक विलम्ब करने के लिए दुर्भावना से प्रस्तुत किया है, इसलिए सव्यय खारिज किया जाए। इस सम्बंध में उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त करने से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य परीक्षा के रूप में शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया। पी.डबल्यू–1 सुमेरमल के शपथपत्र पर जिरह पूर्ण हो चुकी है। पी.डब्ल्यू–1 कैलाश का शपथपत्र न्यायालय अभिलेख पर है। उससे जिरह जरिये कमिश्नर की गई, तब प्रतिवादीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश 18 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपीलेबल मामलों में केवल न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य अभिलिखित करने की बात बताई है सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए गए है। विभिन्न समय पर किए गए संशोधन, जिसमें विशेषकर वर्ष 2002 में किए गए संशोधना के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 (5) Supreme 236 Salem Advocate Bar Association, ... vs Union Of India में संशोधना की प्रायोज्यिता, वैधता व लागू होने के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमतें किन परिस्थितियों में वर्ष 2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए गए, उनके मुख्य रूप से प्रयोजन क्या था, इस बारे में बताया गया है और शपथपत्र पर बयान लेने और	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJAJ0F0001192011/truecopy/order-2.pdf

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2 दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

कमिश्नर द्वारा जिरह किए जाने के सम्बंध में आदेश् 18 नियम 4, 5, 13 व 19 तथा आदेश 26 नियम 4ए सी.पी.सी. के प्रावधानों का विवेचन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है–

Amendment to Order XVIII Rule 5(a) and (b) was made in 1976 whereby it was provided that in all appealable cases evidence shall be recorded by the Court. Order XVIII Rule 4 was amended by Amendment Act of 1999 and again by Amendment Act of 2002. Order XVIII Rule 4(3) enables the commissioners to record evidence in all type of cases including appealable cases. The contention urged is that there is conflict between these provisions.

To examine the contention, it is also necessary to keep in view Order XVIII Rule 19 which was inserted by Amendment Act of 1999. It reads as under:

> "Power to get statements recorded on commission.Notwithstanding anything contained in these rules, the Court may, instead of examining witnesses in open Court, direct their statements to be recorded on commission under rule 4A of the Order XXVI."

The aforesaid provision contains a non–obstante clause. It overrides Order XVIII Rule 5 which provides the court to record evidence in all appealable cases. The Court is, therefore, empowered to appoint a Commissioner for recording of evidence in appealable cases as well. Further, Order XXVI Rule 4–A inserted by Amendment Act of 1999 provides that notwithstanding anything contained in the Rules, any court may in the interest of justice or for the expeditious disposal of the case or for any other reason, issue Commission in any suit for the examination of any person resident within the local limits of the court's jurisdiction. Order XVIII Rule 19 and Order XXVI Rule 4–A, in our view, would override Order XVIII Rule 5(a) and (b). There is, thus, no conflict.

इससे स्पष्ट है कि आदेश 18 नियम 19 व आदेश 26 नियम 4ए सी.पी.सी. के प्रावधान आदेश 18 नियम 5 (a)(b) सी.पी.सी. के

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJAJ0F0001192011/truecopy/order-2.pdf

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3 दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

प्रावधानों पर अभीभावी (Override) है और इन प्रावधानों में कोई विरोधाभास नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2003(8) Supreme 34 Ameer Trading Corporation Ltd vs Shapoorji Data Processing Ltd के मामले में विधिक स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है–

Applying the aforementioned principles of interpretation of statute, we have no doubt in our mind that Order 18 Rules 4 and 5 are required to be harmoniously construed. Both the provisions are required to be given effect to and as Order 18, Rule 5 cannot be read as an exception to Order 18 Rule 4.

आदेश 18 नियम 4 व 5 सी.पी.सी. का Harmonious construction करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनो प्रावधानों को महत्वता प्रदान किया जाना चाहिए। आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का अपवाद आदेश 18 नियम 5 सी.पी.सी. नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सभी मामलों में, जिसमें अपीलेबल सिविल केस भी शामिल हैं, उनमें गवाहों के बयान कमिश्नर पर लिए जा सकते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भिन्न मतों को देखते हुए रेफरेंस के लिए भेजा गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Rita Pandit vs Atul Pandit वाले मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्रकार के मामले में, चाहे वे अपीलेबल हो, नॉन अपीलेबल हो, मुख्य परीक्षा शपथपत्र के माध्यम से होगी और जहां गवाह को समन किया जाए, वह पक्षकार के नियंत्रण में न हो, वहां आदेश 16 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों का अवलम्बन लिया जा सकता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरक्यूलर No:01/P.I./2017 Date 04–01–2017 जारी कर अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य कमिश्नर से लिए जाने के निर्देश दिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने V.Rama Naidu and another Vs Smt. V.Ramadevi में भी आदेश 18 नियम 4, 5, 13, 19 तथा आदेश 26 नियम 4 ए सी.पी.सी. के प्रावधानों के आधार पर कमिश्नर से बयान लिए जाने के सम्बंध में विधिक स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट है किया है–

(d)Order 18 Rule 13 says in non–appealable cases the procedure in Rule 4 not necessary. Originally before (2002 Amendment) Order 18 Rule 4 also speaks about recording of evidence of a witness present in open Court. The above referred Order 18 Rules 4, 5 & 13 were

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJAJ0F0001192011/truecopy/order-2.pdf

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4 दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	previously amended by CPC 1976 Amendment. (e). Order 18 Rule 4 (1) since amended commences with the words in every case examination in chief of a witness shall be on affidavit. This indicates that the word every case reflects the purpose for which it is enacted unless something is occurring to interpret for its restricted application to non appealable cases. Further as per Order 18 Rule 19 Amended by 1999 CPC Amendment (Sec.27[iv]) w.e.f.01.7.2002 in force, notwithstanding anything contained in these Rules 1 to 18 of Order 18 CPC, the Court may, instead of examining witnesses in open Court, direct their statements to be recorded on commission under Order 26 Rule 4A. Thus, the Order 18 Rule 5 virtually became shadow legislation to the above extent. (Since Order 18 Rule 19 enables recording of Evidence on commission by giving go–bye to the spirit of Order 18 Rule 5). (h) Now by virtue of Order 18 Rule 19 R/w. Rule 4 and Order 26 Rule 4A, the Order 18 Rule 5 has no overriding effect; otherwise Order 18 Rule 5 is shadowed by Order 18 Rule 19 R/w. Rule 4 & Order 26 Rule 4A, despite Order 18 Rule 4(1) not commencing with a non obstinate clause, such as not with standing any thing contained in Order 18 Rule 5. It is apt to refer the decision of Dharangadhara Chemical Works Vs. Dharangadhara Muncipality that if there is a repugnancy between the two pieces of legislation dealing with the same subject matter, to such an extent that both cannot stand together and operate simultaneously, the later will have the effect of impliedly repealing the former. From this though it can be said that Order 18 Rule 4 procedure as per amended CPC is applicable even to appealable cases irrespective of what is contained in Order 18 Rule 5, in view of the judgment of the Apex Court in Ameer Trading Corp. supra, taking chief examination affidavit in appealable cases is by examination of the deponent at the witness box to confirm the contents of the affidavit that it is as per his say and that it bears his signature.	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJAJ0F0001192011/truecopy/order-2.pdf

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5 दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किए गए उनका प्रयोजन सिविल मामलों का शीघ्र निस्तारण करना रहा है और इसीलिए शपथपत्र पर मुख्य परीक्षा की साक्ष्य लेने और कमिश्नर के माध्यम से बयान करवाने के प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों की पालना से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय अजमेर द्वारा टारगेटेड केसेज के शीघ्र से शीघ्र निस्तारण के सम्बंध में दिए गए सख्त आदेश की पालना सम्भव है। आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. में कमिश्नर को भाव–भंगीमा अभिलिखित करने, गवाहों के बयान लेने और कोई एतराज करने पर उस एतराज को नोट करने और जिसका निष्कर्ष न्यायालय द्वारा निर्णय के समय लिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इन परिस्थितियों में कमिश्नर से बयान लिए जाने से किसी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की विधिक सम्भावना नहीं है, बल्कि विधिक अपेक्षा शपथपत्र पर मुख्य परीक्षा की साक्ष्य देने व कमिश्नर से बयान करवाने की रही है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं वादी के बयान कमिश्नर के जरिये लिए गए हैं, इसलिए वादी के गवाह के समय जब वादी का गवाह बार–बार न्यायालय में उपस्थित हो रहा था, तब प्रतिवादी अधिवक्ता ने गवाह से जिरह नहीं करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब करने की दुर्भावना से यह प्रार्थनापत्र विधि की मंशा के विपरीत प्रस्तुत किया है, इसलिए सव्यय खारिज करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.सव्यय 9000/– रूपये कोस्ट के जरिये डी.डी./ बैंकर्स चैक माननीय Registrar General LWFA, Rajasthan High Court के बैंक खाता संख्या 41673952674 of SBI, Jhalamand Branch, Jodhpur में जमा कराने व 3000/– रूपये कोस्ट के वादी के गवाह को अदा करने की शर्त के साथ खारिज किया जाता है और प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि वह आगामी दिनांक 13–11–2024 से पूर्व या इस दिनांक तक कोष्ट की राशि आवश्यक रूप से जमा करा दे व वादी के गवाह को अदा कर दे अन्यथा प्रतिवादी की प्रतिरक्षा समाप्त समझी जाएगी। आगामी दिनांक 13–11–2024 को न्यायालय खुलते ही उभय पक्षकारान के अधिवकता व गवाह उपस्थित रहें व आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से गवाह के बयान पूरे करावें। पत्रावली वास्ते पालना आदेश एवं साक्ष्य वादी दिनांक 13–11–2024 को पेश हो।	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJAJ0F0001192011/truecopy/order-2.pdf

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6 दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJAJ0F0001192011/truecopy/order-2.pdf